केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

सफाई कर्मियों तथा बागवानी के लिए माली हेतु निविदा/संविदा की निबंधन एवं शर्तें :–

1. निविदा/संविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा पर सफाई तथा बागवानी व्यवस्था संबंधी उत्तरदायित्वों के लिए व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सफाई कर्मी तथा माली आधारित योग्य बोलीदाताओं से दो (2), बोली (वित्तीय एवं तकनीकी) लिफाफा पद्धति के अंतर्गत लिफाफा बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
2. एजेंसी/फर्म को पंजीकृत होना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यक वैधानिक स्थिति/पहचान प्राप्त होनी चाहिए।
3. एजेंसी/फर्म विभिन्न अधिनियमों/अधिनियमनों के अंतर्गत विभिन्न वैधानिक/सांविधिक औपचारिकताओं और भविष्य निधि, ई.एस.आई., बोनस, बीमा आदि के कारण उससे पैदा होने वाले किसी दायित्व के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगी। चयनित संविदा एजेंसी श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अनुप्रयोज्य प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगी। अनुप्रयोज्य विधियों/नियमों का अनुपालन नहीं करने की उनकी लापरवाही के कारण क्षति होने पर एजेंसी/फर्म लागत की पूर्ण क्षतिपूर्ति करेगी।
4. निविदादाता द्वारा निविदा–प्रपत्र सावधानी पूर्वक भरा जाए, काँट–छाँट (Cutting Overwriting/Erasing)नहीं की जानी चाहिए अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. चयनित संविदा एजेंसी द्वारा संस्थान में नियुक्त कार्मिक, एजेंसी द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र ड्यूटी के समय धारण किए रहेंगे।
6. यदि एक निविदादाता ने एक से अतिरिक्त अन्य निविदा भेजीं अथवा संविदा हेतु किसी भी सिफारिश द्वारा दबाव संस्थान प्रशासन पर डाला गया, तो उक्त निविदादाता की निविदा बिना कारण बताए निरस्त कर दी जाएगी।

7. संविदा दिए जाने के संबंध में पक्षकारों के बीच अलग से करार किया जाएगा।
8. सफल निविदादाता को 10 कार्यदिवसों के भीतर डिमांड ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर/डिजिटल ट्रांसफर द्वारा पूरे वर्ष के ठेके का 2 प्रतिशत धरोहर राशि केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के बैंक खाते में जमा कराने होंगे एवं 8 प्रतिशत की बैंक गारण्टी भी जमा करानी होगी, अन्यथा संविदा हेतु दूसरे स्थान पर रहे निविदादाता को आमंत्रित कर दिया जाएगा। अन्य आमंत्रित निविदादाता पर भी यही नियम लागू रहेगा।
9. केंद्रीय हिंदी संस्थान चयनित एजेंसी द्वारा किसी भी प्रकार के आर्थिक/सामाजिक /आपराधिक नियम विचलन/विचलनों अथवा दिवालिया होने पर केंद्र सरकार के नियमानुसार तत्काल कार्रवाई कर धरोहर राशि एवं बकाया राशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
10. एजेंसी को समय–समय पर व्यवस्था प्रबंधन देखने/जांचने के लिए एक योग्य पर्यवेक्षक (Field Officer) का होना आवश्यक है, जिसका किसी भी प्रकार का आर्थिक/सामाजिक /व्यक्तिगत/मानवीय/मानदेय अथवा क्षतिपूर्ति/प्रतिपूर्ति केंद्रीय हिंदी संस्थान वहन नहीं करेगा।
11. एजेंसी/फर्म द्वारा नियुक्त कार्मिकों का पुलिस वैरिफिकेशन कराकर एवं कोविड–19 की नेगेटिव रिपोर्ट सौंपने पर ही ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। पुलिस वैरिफिकेशन की एक प्रति संस्थान कार्यालय में जमा करानी होगी। बिना पुलिस वैरिफिकेशन के भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
12. केंद्रीय हिंदी संस्थान सफल निविदादाता एजेंसी/फर्म को प्रत्येक सफाई कार्मिक की सेवाओं के लिए आगरा में संगत नियमों के अंतर्गत यथा अनुप्रयोज्य न्यूनतम मजदूरी की राशि के समतुल्य राशि भुगतान करेगी तथा एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक नियुक्त कार्मिक को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय हिंदी संस्थान उस एजेंसी को जिसे उपर्युक्त सेवा उपलब्ध कराने के लिए उस कार्य को अंतिम रूप से दिया गया है, सहमत सेवा प्रभार का भुगतान करेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा एजेंसी को प्रत्येक कार्मिक के भुगतान में संशोधन संविदा जारी रहने के दौरान अनुप्रयोज्य न्यूनतम मजदूरी होने पर किया जाएगा।

13. चयनित संविदा एजेंसी द्वारा संस्थान में नियुक्त कार्मिक संस्थान द्वारा अनुमोदित रंग की वर्दी/यूनिफार्म पहनना अनिवार्य होगा।

14. परिसर में उपकरणों/सामग्री/लेखन सामग्री आदि के होने वाले किसी भी नुकसान के लिए चयनित एजेंसी जिम्मेवार होगी।

15. चयनित एजेंसी द्वारा प्राप्त कार्मिकों की जानबूझकर की गई उपेक्षा से वस्तुओं की किसी भी टूट–फूट की कीमत एजेंसी के उस समय के वर्तमान बिलों से समायोजित कर ली जाएगी।

16. चयनित एजेंसी प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अपने व्यक्तियों को वेतन का भुगतान करेगी, जिन की सेवाएं संस्थान को उपलब्ध कराई गई हैं।

17. एजेंसी द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्मिक के संबंध में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की एवं किसी आपत्तिजनक पदार्थ के उपयोग संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई कर उसे कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

18. चयनित एजेंसी इस संविदा को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति/फर्म संस्था (किसी भी प्रकार) को उप–संविदा पर नहीं देगी।

19. चयनित एजेंसी द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के निदेशक की उपस्थिति में संविदा कार्मिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

20. केंद्रीय हिंदी संस्थान चयनित एजेंसी द्वारा भाड़े पर किए गए कर्मियों को वेतन, वेतनवृद्धि, बोनस, ग्रेच्युटी अथवा कोई अन्य देयताओं के लिए किए जाने वाले किसी भी भुगतान के लिए जिम्मेवार अथवा जवाबदेह नहीं होगा। संस्थान को कार्मिकों को मुहैया कराने के प्रयोजनार्थ चयनित एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों/कामगारों द्वारा की गई वसूली संबंधी किसी कार्यवाही, कार्रवाई मुकदमेबाजी आदि के विरूद्ध चयनित एजेंसी ही क्षतिपूर्ति करेगी।

21. केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा भुगतान के लिए मासिक बिल (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करते समय चयनित एजेंसी यह बताते हुए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी कि सभी सांविधिक देयताओं/भुगतानों का पी.एफ., ई.एस.आई., ई.पी.एफ. और अन्य सांविधिक भुगतानों के कारण दी गई राशि के ब्यौरे की पृष्ठांकित प्रतियों के साथ अनुपालन किया गया है जिसकी छायाप्रतियां बिल के साथ प्रस्तुत करनी होंगी।

22. चयनित एजेंसी द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों को रिकॉर्ड प्रयोजन के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान को अपने फोटोग्राफ, संदर्भ, दूरभाष संख्या, आधार कार्ड की छायाप्रति आदि के साथ अपना जीवनवृत्त प्रस्तुत करना होगा। कार्मिकों को किसी भी परिवर्तन की सूचना के लिए अविलंब लिखित में कुलसचिव केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा को अधिसूचित करना पड़ेगा।

23. चयनित एजेंसी के कर्मी जब भवन परिसर में प्रवेश करेंगे तथा भवन परिसर को छोड़ेंगे, तब वे केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के द्वारा की जाने वाली जांच के अधीन होंगे।

24. चयनित एजेंसी को इस संविदा के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के कर नियमों एवं श्रम कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और संविदा के प्रचालन से संबंधित कार्य क्षेत्र के लिए लागू सीमा के अंतर्गत निजी सुरक्षा/ठेकेदारी एजेंसियों द्वारा सांविधिक दायित्व को पूरा करना होगा तथा वे इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

25. केंद्रीय हिंदी संस्थान को यह संविदा कोई कारण बताए बगैर किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।

26. लागू दर पर स्रोत पर कटौती किए जाने वाले टी.डी.एस. की कटौती नियमानुसार संस्थान द्वारा चयनित एजेंसी/फर्म को देय राशि से की जाएगी।

27. इस आदेश से उत्पन्न अथवा इसके बारे में होने वाले सभी मतभेदों अथवा विवादों को निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र विवाचक (Arbiter) की मध्यस्थता के लिए भेजे जाएंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा तथा पक्षकारों पर बाध्य होगा। इस मध्यस्थता का स्थान आगरा में होगा तथा इसको इंडिया आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलिशन अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

28. एजेंसी को उन कर्मियों को तैनात करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा जो केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के निबंधन एवं शर्तों द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार केंद्रीय हिंदी संस्थान की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, यथापि केंद्रीय हिंदी संस्थान को उन कर्मियों को बदलने अथवा हटाने का पूर्ण अधिकार होगा जो केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा निर्धारित अपेक्षित मानकों के अनुसार अपना कार्य निष्पादित नहीं करते हैं।

29. यह एजेंसी की जिम्मेवारी होगी कि वह संस्थान में तैनात सभी संविदा द्वारा प्राप्त कर्मियों की एक उपस्थिति पंजिका रखें। एजेंसी सभी अपने कार्मिकों का आवश्यक/प्रमाणित पहचान पत्र भी जारी करेगी, जिसको कार्यावधि (ड्यूटी) के समय अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा।

30. यह संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है जिसे परस्पर चर्चा के पश्चात और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा की स्वीकृति के आधार पर समय–समय पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

31. संविदा की अवधि के दौरान किसी कारणवश संविदा की राशि में वृद्धि करने के लिए एजेंसी की अनुवर्ती मांग पर संस्थान द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

32. संविदा स्वीकृत हो जाने की स्थिति में सफल निविदादाता को रूपये 100/– (रूपये एक सौ) मात्र के न्यायिकेतर (Non Judicial) स्टांप कागज (Stamp Paper) पर नियमानुसार निर्धारित अनुबंध पत्र प्रतिपादन करना होगा जो संविदा अवधि के लिए मान्य होगा।

33. सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

34. संस्थान न्यूनतम निविदादाता को संविदा देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

35. किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा को होगा।

36. संविदा अवधि को कम करने या बढ़ाने का अधिकार सिर्फ निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान को होगा।

37. संस्थान में तैनान सभी संविदा कार्मिकाओं को ड्यूटी पर कोविड–19 के नियमों का पालन करना होगा एवं मास्क लगाना होगा।

***

तकनीकी बोली (TECHNICAL BID)

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में सफाई एवं बागवानी व्यवस्था प्रदान करने के लिए

निविदा फार्म शुल्क 500/– रूपये (डिमाण्ड ड्राफ्ट – सचिव, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा)

निविदा फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 12 मार्च, 2021 (सायं 5 बजे तक) तथा

मूल्य बोली खोलने की तिथि 22 मार्च, 2021 को अपराह्न 3 बजे

स्थान–केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

1 2	फर्म/एजेंसी/कंपनी का नाम पता दूरभाष अधिकृत व्यक्ति का नाम पदनाम पता संपर्क	
3	कृपया यह स्पष्ट करें कि निविदाकर्ता एकमात्र स्वामी/ भागीदारी फर्म/निजी अथवा लिमिटेड फर्म है।	
4	निदेशकों/भागीदारों के नाम पता दूरभाष	
5	फर्म/एजेंसी/कंपनी के वैध पंजीकरण की प्रतिलिपि	

6	आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रतिलिपि तथा पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणी की प्रतिलिपि	
7	केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्री की कंपनियों/उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों को इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु तीन वर्षों के अनुभव के प्रमाण की प्रतिलिपि	
8.	EPF तथा ESI प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि	
9	EPF तथा ESI पंजीकरण संख्या	
10	सेवा कर पंजीकरण सं. तथा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि	
11	संविदा श्रमिक (R&A)अधिनियम, 1970 के अंतर्गत लाईसेंस संख्या तथा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि	
12	निम्नलिखित के अंतर्गत प्रस्तुत पिछले दो वर्षों के विवरणों की प्रतियां ESI अधिनियम (कार्मिकों की विवरणी) ESI अधिनियम (अंशदाता की विवरणी) सेवा कर (वार्षिक)	
13	बोली की प्रतिभूति/पेशगी धनराशि का ब्यौरा, डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश /बैंकर्स चैक संख्या जारी करने की तिथि जारीकर्ता बैंक का नाम	''सचिव, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा'' के नाम राशि रु. 20,000/– (रुपए बीस हजार)

14	कोई अन्य सूचना	
15	बोलीकर्ता द्वारा घोषणा : यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इसमें निर्दिष्ट सभी निबंधनों एवं शर्तों को पूर्णतः पढ़ तथा समझ लिया है। मैं/हम उनका अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध हैं।	

टिप्पण : उपरोक्त जांच सूची के सभी विषयों के समर्थन में दस्तावेज/प्रमाण संलग्न होने चाहिए। यह तकनीकी बोली संस्थान की रखरखाव समिति की बैठक के समक्ष खोली जाएगी। कोई भी गलती अथवा अधूरे भरे फार्म मूल्य बोली निविदा हेतु स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।

(बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम :

पता :

(मोहर के साथ)

वित्तीय बोली/मूल्य बोली

सफाई तथा बागवानी सेवा 2021 के लिए निविदा
(एक अलग मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाने हेतु)

क्र. सं.	विवरण	संख्या	न्यूनतम वेतन	EPF	ESI	GST	एजेंसी प्रभार	कोई अन्य प्रभार	कुल कर Total Tax	प्रतिदिन की दर A+B+C+D+E+F
			A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	
1.	सफाईकर्मी									
2.	बगवानीकर्मी									
								सकल जोड़		

(बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम :

पता :

(मोहर के साथ)